न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज०

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **80/2022**

GCMS No- : **2022/00223**

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. करणसिंह पुत्र पाबुदानसिंह 2. भोपालसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जतियान– राजपुत, निवासीगण– पालियावास, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राज0।		1. कल्याणसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपुत निवासी पालियावास तह. जैतारण जिला ब्यावर 2. तहसीलदार जैतारण जिला– ब्यावर राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 06/06/2022

उपस्थितः. 1. श्री करणी दान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः 31/08/2023**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की सरहद मौजा पालियावास, पटवार हल्का रास द्वितीय, तहसील जैतारण में खसरा संख्या 17 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.7365 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.7680 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.2509 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.3804 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.6556 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै. मु. ओडा, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओडा, खसरा नम्बर 33 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम कुल 13 खसरा रकबा 7.5999 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पक्षकरान की पैतृक पुश्तैनी कब्जासुदा एवं शामलाति कृषि भूमि है तथा मौके पर पक्षकरान अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आता है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में पक्षकरान के हिस्से इन्द्राज है। उक्त कृषि भूमि मौके पर पक्षकरान के बापदादा के वक्त से बंटी हुई है तथा मौके पर माठे एवं पालिया लगी हुई है। पक्षकरान का शामलाती रास्ता है। जिसका नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

कृषि भूमि का मौके पर मनागना बन्टवाड़ा पक्षकारों द्वारा कर रखा है तथा पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार अपने-अपने हिस्से में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर पक्षकारान की भूमियों का बन्टवाड़ा हो रखा है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान का कानूनी बाई मिट्स एण्ड बंटवाडस के बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा नक्शा लठ्ठा में भी पक्षकारान के हिस्से पृथक-पृथक तरमीम नहीं है। इसलिये उक्त प्रार्थनापत्र बन्टवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से पक्षकारान के बाप दादा ने उक्त भूमि में कुएं खुदवाए है तथा उक्त कुएं पर बिजली के कनेक्शन पक्षकारान ने ले रखा है। जिसका बिजली का बिल प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है तथा इस प्रकार पक्षकारान शामलाती कुएं से अपने-अपने हिस्से में बोई फसल की बारी-बारी से पिलाई करते है। दिनांक 28.05.2022 को प्रार्थीगण अपने खेत की देखभाल करने एवं फसल की पिलाई करने हेतु गये तो आगे खेत में उपस्थित अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण की कृषि भूमियों की पिलाई नहीं करने दी तथा प्रार्थीगण को अपने खेत से बाहर निकलने हेतु ऐलानिया धमकी दी की यदि प्रार्थीगण दुबारा खेत में आये तो खुन-खच्चर कर जान से मार देंगे। इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को अपने हिस्से में बोई फसल को पिलाई नहीं करने दी तथा प्रार्थीगण को अपने-अपने हिस्से से बेदखल करने को आमादा हुए तथा यदि इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की फसल की पिलाई एवं बुआई नहीं करने दी या उन्हे अपने-अपने हिस्से से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण की फसलें सूख जायेगी तथा प्रार्थीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर भी सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रथम दृष्टिया मामला तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से में फसल की बुवाई करें, फसल की कटाई करें, फसल की पिलाई करें तथा प्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से का मौके पर किसी प्रकार उपयोग, उपभोग करें तो उसमें अप्रार्थीगण बाधा, अड़चन, दखलान्दाजी नहीं करे न ही दूसरों से करावें। अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड एवं मौका की यथास्थिति फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना में कथन किया है कि वादी संख्या 01 अपने कब्जे को पुख्ता साबित करें, ... प्रार्थी संख्या 01 ने बोरिंग मशीन की एवज में वर्ष 1996 में ही ... प्रार्थी संख्या 02 और अप्रार्थी संख्या 01 को सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्से को वर्ष 1996 में ही प्रार्थी संख्या 02 और अप्रार्थी संख्या 01 ने बंटवारा कर भूमि पर काबिज रहते हुये काश्त

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 01 ने अपने दावे के साथ जो नजरी नक्शे बनाकर पेश किया है वह दस्तावेज वर्ष 1996 के तहत स्वतः गलत होकर मुकदमें के गुण अवगुण के आधार पर निस्तारण योग्य दस्तावेज नहीं होने से प्रार्थी का वाद निरस्त होने योग्य है। वादपत्र में वर्णित भूमियां पिछले 50 वर्षों से बहागी बंटवाड़े के तहत 1/3 में होकर प्रतिवादी संख्या 01 के हस्त कब्जा काश्त में 1/3 भूमि मौके पर होने के साथ-साथ वर्ष 1996 से करीब 26 वर्ष पूर्व से ही वादी संख्या 01 के 1/3 हिस्से की भूमि 1/2 में विभाजित होकर अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में 1/3 में 1/2 हिस्सा बढ़कर पिछले 26 वर्षो से निरवाविवाद बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है तथा वर्ष 1996 के पश्चात वादी संख्या 01 के 1/3 में से 1/2 हिस्से की भूमि पर तरक्की करने के कार्य पर अप्रार्थी संख्या 01 करीब 2 लाख रूपये खर्च कर चुका हैं। प्रार्थीगण के कथन विद्युत कनेक्शन से गलत साबित होते है तथा विद्युत कनेक्श्न वादी संख्या 02 व अप्रार्थी संख्या 01 ने संयुक्त रूप से दस्तावेज वर्ष 1996 के पश्चात लिया है। क्योंकि प्रार्थी संख्या 01 विधिक दायरे में वर्ष 1996 के दस्तावेज के तहत अपने 1/3 हिस्से से महरूम हो चुका था। वादपत्र में भूमियां चाह और बोरिंग मशीन विधिक दायरे में 1/2 हिस्से के लिए प्रार्थी संख्या 02 अपना 1/2 हिस्से के लिए और अप्रार्थी संख्या 01 1/2 हिस्से के लिए कानूनी दायरे में अधिकृत हो चुके थे। जिसका उजर एतराज तनाजा प्रार्थी संख्या 01 ने कतई किसी भी प्रकार से ना तो विद्युत कार्यालय अथवा ना ही किसी अन्य कार्यालय में अथवा ना ही किसी न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया मामला किन कारणों से अंकित नहीं होने के साथ-साथ प्रार्थीगण ने अपने वाद में यह भी कहीं भी अंकित नहीं किया है कि प्रार्थीगण के हक में किस प्रकार से सुविधा का संतुलन है और साथ ही प्रार्थीगण मनगंढत तरीके में अपूरणीय क्षति बाबत् अंकित किया है कि वह विधि के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति प्राप्त करनें का कतई कोई अधिकार नहीं है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। वादपत्र मय हस्तगत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि ग्राम पालीयावास में स्थित खसरा संख्या 17,18,19,20, 21,24,26,27,28,29,30,33,35 सह-खातेदारी की अविभाजित आराजी है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सह-खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित आराजी मौके पर बंटी हुई है तथा सह-खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से एक 12 फुट का रास्ता छोड़ा गया है। इसी प्रकार सह-खातेदारान के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि में कुए खुदवाए। पक्षकारान शामलाती कुए से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

अपने-अपने हिस्से में बोई फसल की बारी-बारी से पिलाई करते है। जिसको अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अपने खेत में पिलाई नहीं करने दी जा रही है तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन किया गया कि, वर्ष 1996 में वादी संख्या 01 ने बोरिंग मशीन की एवज में वादी संख्या 02 व अप्रार्थी संख्या 01 को अपनी भूमि का कब्जा दे दिया था। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त कथन के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए है साथ ही प्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी के उक्त कथनों का समर्थन भी नहीं किया है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि आराजी संयुक्त सह-खातेदारी की सामलाती आराजी है तथा संयुक्त सह-खातेदारी आराजी के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह-खातेदार का आराजी के प्रत्येक इंच पर स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। अतः किसी भी सह-खातेदार को अपने हक-हिस्से के अलावा किसी अन्य सह-खातेदार से अधिक कोई विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रत्येक सह-खातेदार को अपने हक-हिस्से तक के खातेदारी अधिकारों के उपयोग-उपभोग के अधिकार प्राप्त है। चुंकि उक्त आराजी के संबंध में विभाजन का वाद लंबित है अतः सह-खातेदारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वें एक-दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अतः यह बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलनः-** संयुक्त सह-खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का राजस्व रेकर्ड में वर्णित अपने हिस्से तक की आराजी में सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। किसी सह-खातेदार द्वारा दूसरे सह-खातेदार को शामलाती कुएं का उपयोग न करने देना व उसके कब्जे काश्त की भूमि में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित सह-खातेदार को कृषि भूमि का उपयोग/उपभोग करने में असुविधा कारित होगी। अतः सुविधा का संतुलन का बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3 **अपूरणीय क्षतिः-** पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि किसी भी सह-खातेदार को संयुक्त सामलाती आराजी में अपने हिस्से तक उपयोग-उपभोग का अधिकार है। अविभाजित आराजी में सह-खातेदारों के मध्य विवाद होने की स्थिति में केवल बंटवाड़ा ही उसका उपाय है। सह-खातेदार को शामलाती कुएं का उपयोग न करने देने एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने से खातेदार को अपनी कृषि भूमि के उपयोग/उपभोग में कठिनाई उत्पन्न होगी जिससे अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं फौज
सहायक कलक्टर जैतारण

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हक-हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने व वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा पालियावास, पटवार हल्का रास द्वितीय, तहसील जैतारण में खसरा संख्या 17 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.7365 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.7680 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.2509 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.2185 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.3804 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.6556 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओडा, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओडा, खसरा नम्बर 33 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.2347 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम भूमि में वादीगण के हक-हिस्से तक की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें व न ही रहन, बैचान व हस्तान्तरण करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर
जैतारण जिला-ब्यावर

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर
जैतारण जिला-ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested